

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 मई 2021 — वैशाख 20, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-6/2018/एक (1). — इस विषय पर पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी एवं पद के संबंध में पूर्वता क्रम दर्शाने वाली निम्नलिखित सारणी, जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित की गई है, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :-

1. राष्ट्रपति
2. उप-राष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. छत्तीसगढ़ के राज्यपाल
5. पूर्व राष्ट्रपति
6. उप-प्रधानमंत्री
7. भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, लोक सभा अध्यक्ष
8. छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, संघ के केबिनेट मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्य सभा एवं लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष
9. भारत रत्न अलंकरणधारी
10. राष्ट्रमण्डल देशों के भारत में अधिकृत असाधारण राजदूत और पूर्णाधिकारी तथा उच्चायुक्त, अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समकक्ष हैसियत वाले गणमान्य
11. उप सभापति, राज्यसभा, उपाध्यक्ष, लोक सभा, संघ के राज्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
12. भारत के महान्यायवादी, केबिनेट सचिव
13. पूर्ण जनरल की श्रेणी या समकक्ष श्रेणी धारण करने वाले सेना अध्यक्ष,

- भारत में अधिकृत असाधारण दूत और पूर्णाधिकारी मंत्री,
 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति,
 प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ (मान. सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति),
 अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,
 छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा के अध्यक्ष
14. छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री,
 प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ (मान. उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति),
 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग,
 संघ के उप-मंत्री,
 छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष,
 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति/अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
 छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व राज्यपाल,
 छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री,
 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति,
 प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ (मान. उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति)
15. छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्री,
 छत्तीसगढ़ राज्य विधान मण्डल के उपाध्यक्ष,
 महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़,
 लेफ्टिनेन्ट जनरल की श्रेणी या समकक्ष श्रेणी धारण करने वाले स्थानापन्न सेना अध्यक्ष
16. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,
 अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
 अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
 अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति,
 लोकायुक्त, छत्तीसगढ़,
 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के समकक्ष हैसियत वाले गणमान्य व्यक्ति,
 छत्तीसगढ़ के उप-मंत्री,
 संसद सदस्य,
 छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव
17. अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के कैबिनेट मंत्री,
 अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के अध्यक्ष,
 शासकीय मुख्य सचेतक, छत्तीसगढ़,
 छत्तीसगढ़ राज्य विधान मण्डल के पूर्व अध्यक्ष,
 छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य
18. छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव,
 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त,
 अध्यक्ष, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण,
 मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़,

- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण,
 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय,
 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,
 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग,
 आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग,
 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग,
 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
 अध्यक्ष, वाणिज्यिक कर अधिकरण, छत्तीसगढ़
19. अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष,
 अन्य राज्यों के राज्य मंत्री,
 अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति,
 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति
20. जिला पंचायत अध्यक्ष (उनके संबंधित जिले में),
 नगर निगम के महापौर (उनके संबंधित नगर निगम क्षेत्र में),
 छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री अथवा राज्य मंत्री की समकक्ष हैसियत वाले निर्वाचित गणमान्य व्यक्ति,
 अन्य राज्यों के उप-मंत्री,
21. भारत सरकार के सचिव (पदेन पदधारी अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए),
 थल सेना कमाण्डर/उप मुख्य थल सेना अध्यक्ष या अन्य सेवाओं के समकक्ष,
 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग आयोग,
 सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
 सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
 पूर्ण जनरल श्रेणी या समकक्ष श्रेणी के अधिकारी,
 राष्ट्रपति के सचिव,
 प्रधानमंत्री के सचिव,
 महासचिव राज्य सभा/लोक सभा,
 सॉलीसीटर जनरल,
 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल,
 महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, छत्तीसगढ़,
 अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
 लेफ्टिनेन्ट जनरल की श्रेणी या समकक्ष श्रेणी वाले अधिकारी
22. अन्य राज्यों के मुख्य सचिव/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक,
 भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव,
 अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल,
 कार्यदूत, कार्यकारी व अंतरिम उच्चायुक्त,
 मुख्य सतर्कता आयुक्त,
 निदेशक, आसूचना ब्यूरो,
 निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
 महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल,

- महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
 पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़,
 सदस्य, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण,
 सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग,
 सशस्त्र बलों के मेजर जनरल या समकक्ष श्रेणी के प्रमुख सैन्य अधिकारी,
 छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न आयोगों, मंडल, प्राधिकरण के सदस्य/आयुक्त (जो
 अन्यथा इस सूची में शामिल नहीं हैं)
23. भारत सरकार के संयुक्त सचिव तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी,
 मेजर जनरल की श्रेणी या समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
24. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़,
 रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,
 पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के समकक्ष श्रेणी के अधिकारी,
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़,
 पोस्टमास्टर जनरल, छत्तीसगढ़,
 महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
 महालेखाकार, छत्तीसगढ़,
 सदस्य, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग,
 सदस्य, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़,
 सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़,
 राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़,
 मुख्यमंत्री के सचिव, छत्तीसगढ़,
 सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा
25. आयुक्त (सुपर टाइम स्केल),
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल)
 संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,
 छत्तीसगढ़ शासन के सचिव तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी,
 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़,
 संभागीय रेल प्रबंधक (छत्तीसगढ़ राज्य के)
 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़
26. पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी,
 मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़,
 प्रमुख अभियंता, छत्तीसगढ़,
 भूतपूर्व मंत्री व भूतपूर्व राज्य मंत्री, छत्तीसगढ़,
 छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव,
 मुख्य आयकर आयुक्त, छत्तीसगढ़,
 प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, छत्तीसगढ़,
 मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार, छत्तीसगढ़
27. छत्तीसगढ़ शासन के अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव तथा समकक्ष श्रेणी के
 अधिकारी,

- राज्य में अवस्थित भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों के कुलपति,
अतिरिक्त महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़
28. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छत्तीसगढ़,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, छत्तीसगढ़,
उप महानिरीक्षक, पुलिस, छत्तीसगढ़,
वन संरक्षक, छत्तीसगढ़,
(इस प्रविष्टि की क्रम सं. 2, 3 एवं 4 के अधिकारीगण की परस्पर पूर्वता उनके वेतन मैट्रिक्स लेवल के अनुसार होगी)
छत्तीसगढ़ के जिला न्यायाधीश की श्रेणी के न्यायिक अधिकारी,
ब्रिगेडियर और भारतीय वायु सेना एवं भारतीय नौसेना में समकक्ष श्रेणी धारण करने वाले अधिकारी,
संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तथा समकक्ष संवर्ग,
छत्तीसगढ़ के विभागों के निदेशक तथा अन्य प्रधान शीर्ष और समकक्ष श्रेणी के अधिकारी,
छत्तीसगढ़ के विभागों के मुख्य अभियंता व समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
29. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़,
सुरक्षा बलों के कर्नल तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी,
उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तथा समकक्ष संवर्ग,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छत्तीसगढ़,
संभागीय वन अधिकारी छत्तीसगढ़ तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, छत्तीसगढ़,
अन्य संभागीय स्तर के अधिकारी (जो अन्यथा शामिल नहीं हैं)
30. भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारी,
राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़,
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, छत्तीसगढ़,
अतिरिक्त कलेक्टर/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी,
सहायक पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी,
विभागों के अधीक्षण यंत्री, छत्तीसगढ़ व समकक्ष श्रेणी के अधिकारी,
अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तथा समकक्ष संवर्ग,
छत्तीसगढ़ के उपायुक्त/विभागों के अतिरिक्त/संयुक्त संचालक व समकक्ष श्रेणी के अधिकारी,
केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ के जिले के जिला स्तर के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए अन्य अधिकारी

- टिप्पणी :-1 पूर्वता सारणी समारोह के अवसरों के लिए है तथा शासन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों से इनका कोई संबंध नहीं है।
- टिप्पणी :-2 पूर्वता सारणी के व्यक्तियों की श्रेणी सरल क्रमांक की संख्या के क्रमानुगत होगी।
- टिप्पणी :-3 अनुच्छेद-8 में, पूर्व प्रधानमंत्री की पूर्वता, संघ के कैबिनेट मंत्री तथा राज्य सभा एवं लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष से ऊपर होगी।
- टिप्पणी :-4 छत्तीसगढ़ में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की पूर्वता संघ के कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर होगी।
- टिप्पणी :-5 राज्य के बड़े कार्यक्रमों में जब संसद सदस्यों को एक साथ आमंत्रित किया जाता है, तो उनके लिए आरक्षित स्थान मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा अध्यक्ष, राजदूत आदि से अगला होगा।
- टिप्पणी :-6 इस पूर्वता सारणी के क्रम, राज्य के लिए तथा समारोह अवसरों के लिए है तथा अधिक अनौपचारिक अवसरों पर सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक नहीं है।
- टिप्पणी :-7 जब एक ही वर्ग के दो महानुभाव एक ही सरल क्रमांक में रखे गए हों, तो पद सोपान में उच्चतर स्तर के महानुभाव की पूर्वता निम्नतर स्तर के महानुभाव से ऊपर होगी।
- टिप्पणी :-8 पूर्वता सारणी के अनुच्छेद-28 की क्रम संख्या 1 एवं 2 के अधिकारीगण की परस्पर पूर्वता, उक्त क्रम संख्या में प्रविष्टि के दिनांक के अनुसार होगी।
- टिप्पणी :-9 विभिन्न आयोगों/अधिकरणों/प्राधिकरणों/राज्य निगमों के अनिर्वाचित तथा अशासकीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सदस्य जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और जो मुख्य पूर्वता क्रम में सम्मिलित नहीं हैं, वे राज्य के समारोह कार्यक्रमों में आमंत्रित किए जाने पर उपरोक्त अनुच्छेद-22 पर पूर्वता प्राप्त करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2021

क्रमांक एफ 1-6/2018/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/2018/एक (1), दिनांक 10-05-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 10th May 2021

NOTIFICATION

No. F 1-6/2018/One(1).— In supersession of all previous notifications issued on the subject, the following table showing the Order of Precedence with respect to rank and office of persons named therein which has been approved by the Governor of Chhattisgarh, is published for general information :-

1. President
2. Vice-President
3. Prime Minister
4. Governor of Chhattisgarh
5. Former Presidents
6. Deputy Prime Minister
7. Chief Justice of India,
Speaker of Lok Sabha
8. Chief Minister of Chhattisgarh,
Cabinet Ministers of the Union,
Former Prime Ministers,
Leaders of Opposition in Rajya Sabha and Lok Sabha
9. Holders of Bharat Ratna decoration
10. Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary and High Commissioners of
Commonwealth countries accredited to India,
Governors of other States/Union Territories,
Chief Ministers of Other States/Union Territories,
Judges of the Supreme Court,
Chairperson, Union Public Service Commission,
Chief Election Commissioner,
Comptroller and Auditor-General of India,
Dignitaries having status equivalent to Supreme Court Judges
11. Deputy Chairman, Rajya Sabha,
Deputy Speaker, Lok Sabha,
Ministers of State of the Union,
Deputy Chief Minister of Chhattisgarh
12. Attorney-General of India,
Cabinet Secretary
13. Chiefs of Staff holding the rank of full General or equivalent rank,

- Envoys Extraordinary and Ministers Plenipotentiary accredited to India,
 Chief Justice of High Court Chhattisgarh,
 Pramukh Lokayukta Chhattisgarh (Retired Judges of the Supreme Court),
 Chairman, National Human Rights Commission,
 Speaker of Chhattisgarh State Legislative Assembly
14. Cabinet Ministers of Chhattisgarh,
 Pramukh Lokayukta Chhattisgarh (Retired Chief Justice of High Court),
 Chairman, Chhattisgarh State Human Rights Commission,
 Deputy Minister of the Union,
 Leader of Opposition Chhattisgarh State Legislative Assembly,
 Judges of Chhattisgarh High Court/Chairman, Chhattisgarh State Legal Service
 Authority,
 Ex-Governor of Chhattisgarh,
 Ex-Chief Minister of Chhattisgarh,
 Former Chief Justice of High Court of Chhattisgarh,
 Pramukh Lokayukta Chhattisgarh (Retired Justice of High Court),
15. Ministers of State Chhattisgarh,
 Deputy Speaker of Chhattisgarh State Legislature,
 Advocate General, Chhattisgarh,
 Officiating Chiefs of Staff holding the rank of Lieutenant General or equivalent
 rank
16. Chairman, National Minorities Commission,
 Chairman, National Commission for Scheduled Castes,
 Chairman, National Commission for Scheduled Tribes,
 Chief Justices of High Courts of Other States,
 Lokayukta, Chhattisgarh,
 Dignitaries having status equivalent to High Court Judges,
 Deputy Ministers of Chhattisgarh,
 Members of Parliament,
 Parliamentary Secretary of Chhattisgarh
17. Cabinet Ministers of Other States/Union Territories,
 Chairman of Legislatures of Other States/Union Territories,
 Government Chief Whip of Chhattisgarh,
 Former Speaker of Chhattisgarh,
 Members of Chhattisgarh Legislative Assembly
18. Chief Secretary of Chhattisgarh,
 Chairman, Chhattisgarh Public Service Commission,
 Chhattisgarh State Election Commissioner,
 Chairman, Real Estate Regulatory Authority,
 Chief Information Commissioner, Chhattisgarh,
 Chairman, Chhattisgarh Arbitration Tribunal,

- Chairman, Chhattisgarh State Industrial Court,
 Chairman, Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission,
 Chairman, Chhattisgarh Electricity Regulatory Commission,
 Commissioner, Chhattisgarh State Co-operative Election Commission,
 Chairman, Chhattisgarh State Commission for Women,
 Chairman, Chhattisgarh State Minority Commission,
 Chairman, Commercial Tax Tribunal, Chhattisgarh
19. Deputy Chairman of Legislative Assemblies of Other States/Union Territories,
 Ministers of State of Other States,
 Judges of High Courts of Other States,
 Former Judges of Chhattisgarh High Court
20. Chairman, Zila Panchayat (within their respective Districts),
 Mayor of Municipal Corporation (within their respective Municipal Area),
 Elected dignitaries having equivalent status of Minister or Minister of State of Chhattisgarh,
 Deputy Ministers of Other States
21. Secretaries to the Government of India (including officers holding this office ex-officio),
 Army Commanders/Vice-Chief of the Army Staff or equivalent in Other services,
 Chairman, Chhattisgarh State Commission for Scheduled Castes /Scheduled Tribes/ Backward Class,
 Members, National Commission for Scheduled Castes,
 Members, National Commission for Scheduled Tribes,
 Officers of the rank of full General or equivalent rank,
 Secretary to the President,
 Secretary to the Prime Minister,
 Secretary General, Rajya Sabha / Lok Sabha,
 Solicitor-General,
 President Board of Revenue Chhattisgarh,
 Director General, Chhattisgarh Academy of Administration,
 Additional Chief Secretaries to the Government of Chhattisgarh,
 Officers of the Rank of Lieutenant General or Equivalent Rank
22. Chief Secretaries of Other States/Administrators Union Territories,
 Additional Secretaries to the Government of India,
 Additional Solicitor-General,
 Charge'd Affairs and Acting High Commissioners be-pied and interim,
 Chief Vigilance Commissioner,
 Director, Intelligence Bureau,
 Director, Central Bureau of Investigation,
 Director General Border Security Force,

- Director General, Central Reserve Police Force,
 Director General of Police, Chhattisgarh,
 Members, Central Administrative Tribunal,
 Members, Union Public Service Commission,
 Principal Staff Officers of the Armed Forces of the rank of Major General or equivalent rank,
 Member/Commissioner of Various Commission, Board, Authority of Chhattisgarh State (Which is not otherwise included in this list)
23. Joint Secretary to the Government of the India and officers of equivalent rank,
 Officers of the rank of Major-General or equivalent rank
24. Principal Secretaries to Government of Chhattisgarh,
 Chief Electoral Officer, Chhattisgarh,
 Registrar General of High Court Chhattisgarh,
 Officers of equivalent rank of Director General of Police, Chhattisgarh,
 Principal Chief Conservator of Forest, Chhattisgarh,
 Post Master General, Chhattisgarh,
 General Manager, South East Central Railway, Bilaspur, Chhattisgarh,
 Accountant General, Chhattisgarh,
 Members, Chhattisgarh Human Rights Commission,
 Members, Board of Revenue, Chhattisgarh,
 Members, State Public Service Commission, Chhattisgarh,
 Secretary to Governor, Chhattisgarh,
 Secretary to Chief Minister, Chhattisgarh,
 Secretary of Chhattisgarh State Legislative Assembly
25. Commissioners (Supertime Scale),
 District and Sessions Judge, Chhattisgarh (Supertime Scale),
 Divisional Commissioners, Chhattisgarh,
 Secretaries to the Government of Chhattisgarh and Officers of equivalent rank,
 Additional Director General of Police, Chhattisgarh,
 Divisional Railway Manager (of Chhattisgarh State),
 Additional Principal Chief Conservator of Forest, Chhattisgarh
26. Inspector General of Police, Chhattisgarh and officers of equivalent rank,
 Chief Conservator of Forest, Chhattisgarh,
 Engineer-in-Chief, Chhattisgarh,
 Ex-Minister and Ex-Minister of State of Chhattisgarh,
 Retired Chief Secretaries of Chhattisgarh,
 Chief Commissioner of Income Tax, Chhattisgarh,
 Principal Commissioner, Central GST and Central Excise, Chhattisgarh,
 Chief General Manager of Telecommunications, Chhattisgarh
27. Additional Secretaries/Special Secretaries to the Government of Chhattisgarh and officers of equivalent rank,

- CMD of Public Sector Undertakings of Government of India located in C.G.,
Vice Chancellors of Universities in Chhattisgarh,
Additional Advocate General, Chhattisgarh
28. District and Sessions Judge, Chhattisgarh,
Collector and District Magistrate of District, Chhattisgarh,
Deputy Inspector General of Police, Chhattisgarh,
Conservator of Forest, Chhattisgarh,
(In sequence 2, 3 and 4 of this entry, the order of precedence of Officer's
will be in accordance with their respective pay matrix level.)
Judicial Officers of the rank of District Judge of Chhattisgarh,
Brigadier and Officers Holding equivalent Rank in IAF and Indian Navy,
Joint Secretary to Government of Chhattisgarh and Equivalent cadre,
Other Major Heads/Directors of Departments of Chhattisgarh and officers of
equivalent rank,
Chief Engineers of Departments of Chhattisgarh and officers of equivalent rank
29. Senior Superintendents of Police/Superintendents of Police of Districts,
Chhattisgarh,
Colonel and officers of equivalent rank of Defence forces,
Deputy Secretary to Government of Chhattisgarh and Equivalent cadre,
Additional District Magistrate and Sessions Judge, Chhattisgarh,
Divisional forest Officer of Chhattisgarh and officers of equivalent rank,
Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Chhattisgarh,
Chief Medical Officers, Chhattisgarh,
Other Divisional Level Officers (not included otherwise)
30. Indian Administrative Service and Indian Police Service Officers of Junior Scale,
State Protocol Officer, Chhattisgarh,
Chief Judicial Magistrate, Chhattisgarh,
Additional Collector/Additional District Magistrate and officers of equivalent rank,
Assistant Inspector General of Police of Chhattisgarh and officers of equivalent
rank,
Superintending Engineers of Departments of Chhattisgarh and officers of equivalent
rank,
Under Secretary to Government of Chhattisgarh and equivalent cadre,
Deputy Commissioners/Additional/Joint Directors of Departments of Chhattisgarh
and officers of equivalent rank,
Station Director, All India Radio/Doordarshan, Chhattisgarh,
Other Officers including District Level officers of the District of Chhattisgarh

Note 1:- The Table of Precedence is meant for ceremonial occasions and has
nothing to do with day-to-day functioning of the Government.

- Note 2:-** Persons in the Table of Precedence will rank in order of the number of the articles.
- Note 3:-** In Article 8, former Prime Ministers will take precedence over the Cabinet Ministers of the Union and the Leaders of Opposition in the Rajya Sabha and the Lok Sabha.
- Note 4:-** The Chief Ministers of Chhattisgarh will take precedence over the Cabinet Ministers of the Union in official functions held in Chhattisgarh.
- Note 5:-** When Members of Parliament are invited en bloc to major State functions, the enclosures reserved for them should be next to the Chief Justice, Speaker of the Lok Sabha, Ambassadors etc.
- Note 6:-** The order in this Table of precedence is meant for State and Ceremonial occasions and may not be strictly followed on more informal occasions.
- Note 7:-** When two persons of the same category are placed in one article, the person higher in rank in the hierarchy of post will take precedence over the person lower in rank.
- Note 8:-** Officers in sequence No. 1 and 2 of serial No. 28 of the Table of precedence will take precedence inter se according to the date of entry in that number.
- Note 9:-** Non-elected and Non-official Chairman/Vice Chairman and members of various Commissions/Tribunals/Authorities/State Corporations having status of Minister/Minister of State although not included in the main order of precedence will take precedence above Article number 22 when invited for State and Ceremonial functions.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Secretary.